झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 05 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री बाबूलाल कुँभिया एवं अन्य,
ग्राम-कुपुई, प्र0-चक्रधरपुर,
प0सिंहभूम।

बनाम

प्रतिवादी DSO, प0सिंहभूम।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
16.02.2023	परिवादी श्री बाबूलाल कुंटिया एवं अन्य; ग्राम–कुपुई, प्रखण्ड–चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम का परिवाद पत्र दिनांक–17.01.2023 को आयोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें परिवादी द्वारा चक्रधरपुर प्रखण्ड अन्तर्गत बाईपी गांव के PDS वितरक निम्बू बा स्वयं सहायता समूह के विरूद्ध निम्न आरोप लगाए गए हैं:– 1. माह जुलाई से दिसम्बर, 2022 तक अर्थात छः माह तक PMGKAY एवं NFSA के तहत् मिलने वाला अनाज 89 कार्डधारियों को नहीं दिये जाने की शिकायत की गई है। 2. माह सितम्बर से दिसम्बर, 2022 तक अर्थात कुल 4 माह का PMGKAY एवं NFSA का अनाज कुल 61 कार्डधारियों को नहीं दिये जाने की शिकायत की गई है। 3. ग्रीन राशन कार्डधारियों को माह जुलाई से दिसम्बर, 2022 तक का राशन नहीं दिये जाने का उल्लेख है। परिवादी द्वारा पूर्व में भी दिनांक–27.12.2022 को उक्त राशन डीलर द्वारा राशन नहीं दिये जाने संबंधी शिकायत दर्ज की गई थी। इस बीच DGRO, पश्चिमी सिंहभूम के पत्रांक–3079 दिनांक–30.12.2022 द्वारा इस मामले में पारित आदेश की प्रति आयोग को उपलब्ध कराई गई, जिसमें PDS वितरक को निलंबित किये जाने का उल्लेख मिलता है किन्तु शिकायतकर्ताओं के बकाया/लंबित खाद्यान्न वितरण के संबंध में कोई जिक्र नहीं है। इस कारण आयोग के पत्रांक–22 दिनांक–05.01.2023 द्वारा DGRO, पश्चिमी सिंहभूम से उक्त मामले से संबंधित जांच प्रतिवेदन एवं लाभुकों के लंबित/बकाया अनाज का वितरण शीघ्र कराने एवं प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, जो अप्राप्त रहा। अतः उपरोक्त परिस्थिति में दिनांक–17.01.2023 को परिवादी द्वारा समर्पित किये गये इस अपील आवेदन को गंभीरता से लेते हुए आयोग द्वारा इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को प्रतिवादी बनाया जाय। मामले में सुनवाई दिनांक–14.03.2023 को निर्धारित की जाती है। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–14.03.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	